1047/13-7-12

झारखंड सरकार
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

संकल्प

विषय :— राज्य में संयुक्त उपक्रम के अन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 38 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों / महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (22 सामान्य आई0टी0आई0 एवं 16 महिला आई0टी0आई0) की स्थापना हेतु भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया है, एवं इनमें से कुछ भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण भी हो चुका है। इन सभी संस्थानों को सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के भागीदारी पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशीप (Public Private partnerhip) के माध्यम से संचालित करने पर राज्य सरकार स्वीकृति प्रदान करती है।

(2) पी0पी0पी0 के अन्तर्गत संचालित किये जाने वाले संस्थानों की सूची निम्नवत है :—

I- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान :—

क्र0	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का नाम	जिला का नाम	क्र0	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का नाम	जिला का नाम
1	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, झगड़ाटॉड	गढ़वा	12	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, छत्तरपुर।	पलामू
2	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बरही।	रामगढ़	13	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रंका।	गढ़वा
3	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बेरमो।	हजारीबाग	14	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, नगरउटारी।	गढ़वा
4	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, घाटशीला।	पूर्वी सिंहभूम	15	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, महुआटॉड़।	लातेहार
5	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, चाकुलिया।	पूर्वी सिंहभूम	16	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, चंदवा।	लातेहार
6	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बहरागोड़ा।	पूर्वी सिंहभूम	17	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, खूँटी।	खूँटी
7	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, चक्रधरपुर।	प0 सिंहभूम	18	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, घाघरा।	गुमला
8	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मनोहरपुर।	प0 सिंहभूम	19	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बुण्डू।	राँची
9	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जगन्नाथपुर।	प0 सिंहभूम	20	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मांडर।	राँची
10	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, चांडिल।	सरायकेला खरसावाँ	21	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, राजमहल।	साहेबगंज
11	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हुसैनाबाद।	पलामू	22	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मधुपुर।	देवघर

1047/13-7-12

II- महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान :–

क्र0	म0 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का नाम	जिला का नाम	क्र0	म0 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का नाम	जिला का नाम
1	महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रामगढ़।	रामगढ़	9	महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सिमडेगा।	सिमडेगा
2	महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गिरिडीह।	गिरिडीह	10	महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, लोहरदगा।	लोहरदगा
3	महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बोकारो।	बोकारो	11	महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, खूँटी।	खूँटी
4	महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, धनबाद।	धनबाद	12	महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पाकुड़।	पाकुड
5	महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सरायकेला–खरसावाँ।	सरायकेला – खरसावाँ	13	महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, साहेबगंज।	साहेबगंज
6	महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गढ़वा।	गढ़वा	14	महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, देवघर।	देवघर
7	महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, डालटेनगंज।	डालटेनगंज	15	महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गोड्डा।	गोड्डा
8	महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गुमला।	गुमला	16	महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जामताड़ा।	जामताड़ा

3. निजी सार्वजनिक भागीदारी के सिद्धान्त के आधार पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों / महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के संचालन हेतु प्रस्तावित मुख्य शर्त्ते निम्नांकित होंगी :–

i) सरकार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु सरकारी भूमि पर निर्मित भवन प्रारंभ में 30 वर्षों के लीज पर उपलब्ध करायेगी जिसको आपसी सहमति के आधार पर पुनः 30 वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सकेगा।

ii) सफल निविदादाता को द्वारा इन संस्थानों को मशीन, उपकरण एवं उपस्कर से सुसज्जित करना होगा।

iii) भूखंड पर अतिरिक्त निर्माण कार्य राज्य सरकार की सहमति से होंगे।

iv) भूखंड एवं निर्मित भवन राज्य सरकार की सम्पति होगी।

v) संस्थान की स्थापना एवं सभी आवर्त्ती व्यय का उत्तरदायित्व निजी क्षेत्र का होगा, किन्तु राज्य सरकार **द्वारा यथा आवश्यक पूँजीगत तथा आवर्त्ती viability gap funding की व्यवस्था की जायेगी।**

vi) संस्थान का प्रबंधन संस्थान प्रबंधन समिति के द्वारा किया जायेगा जिसमें सरकार एवं निजी क्षेत्र के समान संख्या में प्रतिनिधि होंगे किन्तु इसकी अध्यक्षता निजी संस्थान के प्रतिनिधि द्वारा की जाएगी।

vii) संस्थानों में प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध सीटों का 50% अंश राज्य सरकार द्वारा झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद के माध्यम से आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर तथा शेष 50% सीट निजी क्षेत्र के द्वारा भरा जायेगा।

viii) यदि डी0जी0ई0टी0, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी के सिद्धान्त के आधार पर viability gap funding की योजना के अन्तर्गत किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को किसी अवधि के लिए चयनित किया जाता है तो भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि उनके द्वारा निर्धारित शर्त्तों के अनुरूप योग्य निविदा दाता को उपलब्ध करा दी जायेगी। इस परिस्थिति में झारखंड सरकार द्वारा उस संस्थान के संचालन के लिए उक्त अवधि हेतु कोई राशि अलग से उपलब्ध नहीं करायी जायेगी। सरकार उसी स्थिति में ऐसे संस्थान को शेष राशि देगी जबकि भारत सरकार द्वारा उक्त संस्थान को दी जाने वाली राशि निविदा के आधार पर निर्धारित अनुदान की राशि से कम हो।

4. राज्य में संयुक्त उपक्रम के अन्तर्गत कुल 38 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (22 पुरूष आई0टी0आई0 एवं 16 महिला आई0औ0आई0) को PPP के माध्यम से संचालित किये जाने एवं प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार एवं निविदा आमंत्रण में सहयोग हेतु Jharkhand Infrastructure Development Corporation (JINFRA) को विभाग द्वारा कन्सलटेंट के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

5. इच्छा की अभिव्यक्ति / निविदा के माध्यम से प्राप्त मुहरबंद प्रस्तावों की समीक्षा एवं उनके चयन हेतु एक चयन समिति निम्न रूप में गठित की जाती है:–

1047
13-7-12

क) प्रधान सचिव, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग , झारखंड, राँची। – अध्यक्ष।
ख) निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग , झारखंड, राँची। – सदस्य सचिव।
ग) सचिव, उद्योग विभाग, झारखंड, राँची अथवा उनके द्वारा मनोनीत निदेशक, उद्योग विभाग, झारखंड, राँची। – सदस्य
घ) निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, झारखंड, राँची – सदस्य
ड.) उप निदेशक प्रशिक्षण, हेहल, राँची – सदस्य
घ) महानिदेशक, रोजगार एवं प्रशिक्षण , श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली के प्रतिनिधि। – सदस्य

समिति प्राप्त प्रस्तावों पर सम्यक विचारोपरांत अपनी अनुशंसा राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

6. राज्य सरकार को कंडिका-2 में अंकित 38 औ0 प्र0 संस्थानों में से किसी भी संस्थान को पी0पी0पी0 के आधार पर नहीं चलाके अपने स्तर से संचालित करने अथवा किसी अन्य औ0 प्र0 संस्थान को पी0पी0पी0 के आधार पर संचालित करवाने का अधिकार होगा। यदि कोई अन्य बड़ा सरकारी उपक्रम अथवा संस्थान पी0पी0पी0 के आधार पर किसी तकनीकी / व्यावसायिक संस्थान का संचालन झारखंड सरकार के माध्यम से करवाना चाहता है तो उस उपक्रम या संस्थान के एक प्रतिनिधि को भी कंडिका-5 में वर्णित चयन समिति में शामिल किया जायेगा।

7. चयनित प्रतिष्ठानों एवं राज्य सरकार द्वारा कंडिका-3 में वर्णित शर्तों के अनुरूप एम0ओ0यू0 पर हस्ताक्षर किया जायेगा तथा उनके अधीन ही प्रस्तावित संस्थान का संचालन किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

(विष्णु कुमार)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :- 5 प्रशि0 (योजना)-19/2005 (पार्ट) 1047 राँची दिनांक 13-7-12
प्रतिलिपि :- निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, झारखंड, राँची /श्रमायुक्त, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(विष्णु कुमार)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :- 5 प्रशि0 (योजना)-19/2005 (पार्ट) 1047 राँची दिनांक 13-7-12
प्रतिलिपि :- सरकार के सभी विभाग / विभागाध्यक्ष/ सभी उपायुक्त/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(विष्णु कुमार)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :- 5 प्रशि0 (योजना)-19/2005 (पार्ट) 1047 राँची दिनांक 13-7-12
प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव, झारखंड, राँची/ विकास आयुक्त, झारखंड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

(विष्णु कुमार)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :- 5 प्रशि0 (योजना)-19/2005 (पार्ट) 1047 राँची दिनांक 13-7-12
प्रतिलिपि :- मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखंड, राँची/ मंत्री , श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखंड, राँची के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(विष्णु कुमार)
सरकार के प्रधान सचिव।